सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 26 / 2016
बउनवान

1– प्रदीप कुमार दत्तक पुत्र प्रेमनारायण जाति–मीणा निवासी–बमूलिया जोगियान, तहसील–अन्ता जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– प्रकाशबाई बेवा प्रेमनारायण जाति–मीणा निवासी–बम्बूलिया जोगियान, तहसील–अन्ता जिला–बारां
2– स्वाति कुमारी] नाबालिग पुत्रियान प्रेमनारायण जरिये वली माता
3– सेजल कुमारी] प्रकाशबाई बेवा प्रेमनारायण नि. बम्बूलियाजोगियान
4– ओमप्रकाश पुत्र बलभद्र जाति–मीणा निवासी–बमूलिया जोगियान तहसील–अन्ता जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा, 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
तहसीलदार,बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016
उपस्थिति :–1. श्री बनवारीलाल मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री धारा सिंह, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट कम–4)**

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय दिनांक– 15.02.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा धारा–183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,195 के तहत पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम बम्बूलिया जोगियान तहसील–अन्ता के खाता संख्या–79 के खसरा नम्बर 99 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 466 रकबा 1.05 है0, ख0नं0 669 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 788 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 820 रकबा 0.66 है0 कुल 6 किता रकबा 4.04 है0 भूमि स्थित है जिसके तत्कालीन खातेदार प्रेमनारायण आत्मज बलभद्र मीणा है। प्रार्थीयॉ ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी को अपीलांट व रेस्पों0 कम–4 को मुनाफा काश्त पर दिया जाना ओर इस वर्ष मुनाफा देने से मना करने व कब्जा नहीं छोडने पर वाद कारण बनाते है। उक्त प्रार्थनापत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं कर दिनांक 18.10.2016 को आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलांट की प्रोपर तामील न होते हुये भी तामील मानकर अपीलांट के विरूद्व बेदखली का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण रेस्पों0 कम 1 ता 3 ने यह साबित नहीं

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी अनुसूचित जनजाति की आराजी पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा धारा 183(बी) के तहत कार्यवाहीं किस प्रकार मेन्टेनेबल है। अर्थात प्रार्थीगण को उक्त धारा के तहत प्रार्थनापत्र लाने का अधिकार नहीं था। वैसे भी कानूनन अनुसूचित जनजाति की आराजी में पुत्रियों को किसी प्रकार का कोई अधिकार निहित नहीं है और विधवा महिलाओं को भी जीवन पर्यन्त हक विद्यमान है और उनको अन्तरण का अधिकार नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की समुचित तामील हुई होती तो उपस्थित होकर अपना पक्ष मजबूती से रखता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व तरतरफा आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है।

अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट स्व0 प्रेमनारायण जी का दत्तक पुत्र है और प्रेमनारायणजी के द्वारा अपने जीवनकाल में हीं अपीलांट को बाल्यावस्था में दत्तक ले लिया था और उसकी पढाई लिखाई भी प्रेमनारायण व प्रकाशबाई रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा हीं करवाई जाती रहीं है। उक्त आराजी पर अपीलांट हीं काबिल काश्त होकर कृषि करता है। किन्तु प्रेमनारायण जी की दिनांक 03.11.2011 को मृत्यु होने के पश्चात् उनकी पगडी रस्म दिनांक 14.3.2011 को अपीलांट को रेस्पों0 प्रकाशबाई की सहमति से पहनायी गयी थी लेकिन रेस्पों0 क्रम–1 परिवार के अन्य सदस्यों के बहकाने के कारण स्व0 प्रेमनारायण जी का फौती इन्तकाल राजस्व अधिकारियों ने रेस्पों0 के पक्ष में तस्दीक कर दिया है जो कि दत्तक पुत्र होने की हैसियत से फौती इन्तकाल में अपीलांट का नाम दर्ज होना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.2016 निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों0 क्रम– 1 ता 3 अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–4 की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा रेस्पों0 के प्रार्थनापत्र पर अपीलांट के विरूद्व धारा, 183(बी) के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पों0 दोनों अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिनकर धारा, 183(बी) का कानून लागू नहीं होता है। विवादित आराजी स्वं. प्रेमनारायण जी की खातेदारी की भूमि है। प्रेमनारायण जी व रेस्पों0 क्रम–1 ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को बाल्यावस्था में हीं प्रेमनारायण जी के कोई पुत्र नहीं होने से अपीलांट को विधि विधान से दत्तक ग्रहण किया था तभी से अपीलांट बहेसियत दत्तक अपीलांट के पास हीं रहता आ रहा है। उनकी खेती बाडी का कार्य भी लगातार अपीलांट की कर रहा है। अपीलांट की शिक्षा तालीम भी प्रेमनारायणजी ने हीं करायी है। प्रेमनारायण जी की मृत्यु दिनांक 3.11.11 को होने पर उनकी क्रियाक्रम व पगडी रस्म अपीलांट द्वारा हीं सम्पादित किया है, जो रेस्पों0 क्रम–1 माता प्रकाशबाई की सहमति से हीं हुयी है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रेस्पों0 ने प्रेमनारायण जी की मृत्यु होने पर छलपूर्वक परिवार के लोगो के बहकावे में उक्त आराजी का गुपचुप तरीके से फौती इन्तकाल अपने पक्ष में दर्ज करा लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय में छुटे तथ्य बताकर, अपीलांट के विरूद्व प्रार्थनापत्र धारा, 183(बी) का प्रस्तुत किया है। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बिना तामील कराकर, अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हीं अपीलांट के विरूद्व एकतरफा आदेश पारित कर दिया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करता तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपने उज्रात प्रस्तुत कर सकता था।

साथ हीं निवेदन किया कि रेस्पों0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये है कि अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–4 उक्त आराजी को मुनाफा काश्त करते थे तथा अपीलांट ने जबरन कब्जा कर रखा है, उक्त कथन पूर्णतया मिथ्या है। अपीलांट मृतक प्रेमनारायण जी का दत्तक पुत्र है जिसकी लिखावट उनके पास मौजूद है। अपीलांट बहैसियत उक्त आराजी पर दत्तक पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल दर्ज व बेदखल करने भारी भूल की है। अपीलांट ने उक्त आराजी बाबत हक घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के समक्ष कर रखा है जिसके हक तय होगे। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के विरूद्व पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पों0क्रम–4 के अभिभाषक ने भी अपीलांट के कथन का समर्थन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.10.2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–4 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 466 रकबा 1.05 है0, ख0नं0 669 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 788 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 820 रकबा 0.66 है0 कुल 6 किता रकबा 4.04 है0 वाके ग्राम बमूलिया जोगियान मृतक खातेदार प्रेमनारायण आ. बलभद्र कोम मीना के खातेदारी की भूमि है जिनकी मृत्यु होने से फौती इन्तकाल रेस्पों0 क्रम 1ता 3 के खातेदारी में दर्ज हुआ है। रेस्पोंडेंट द्वारा खातेदारी आराजी दर्ज होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा, 183(बी) आरटीए का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट बतोर अतिक्रमी पाये जाने पर विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट का कथन रहा है कि वह अतिक्रमी नहीं होकर, मृतक प्रेमनारायणजी का दत्तक पुत्र है जिसे उक्त आराजी में रेस्पों0 के बराबर–बराबर अधिकार है, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट मृतक प्रेमनारायणजी का दत्तक पुत्र है।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत आराजी रेस्पों0 के खातेदारी में दर्ज है जिसपर अपीलांट बहेसियत अतिक्रमी पाया गया है। धारा, 183(बी) समरी

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

ट्रायल कार्यवाहीं है जो किसी भी अतिक्रमी के विरूद्व लायी जा सकती है। उक्त आराजी वर्तमान में रेस्पों0 के खातेदारी में दर्ज है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधि सम्मत अतिक्रमी मानकर, बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 18.10.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां